20/4/18	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 23-6-18 को पेश हो। कैम्प जालिमपुरा [signature]	
23/6/18 [signature]	पत्रावली लोक अदालत कैम्प जालिमपुरा मे पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 मजमे आम मे उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 ने कथन किये कि विवादित आराजी उसने एक वर्ष के लिए मुनाफा काश्त पर ली थी, समयावधि पूर्ण हो जाने पर मेरे द्वारा विवादित भूमि खातेदार को संभला दी है। वर्तमान मे विवादित भूमि से मेरा कोई सम्बन्ध नही है। इस बाबत प्रतिवादी नं. 1 ने आदेशिका पर उक्त उल्लेख अंकित किये। अतः प्रतिवादी नं. 1 एवं वकील वादी की सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खेडली कालया तहसील दीगोद स्थित ख० नं. 227 रकबा 0.63 हे० भूमि	प्रतिलिपि [illegible] वादी [illegible] के [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] 17-6-28

नम्बर अहकाम हुक्म की जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से प्रतिवादी नं.1, वादी को बेदखल नहीं करे, वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी नं.1 जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमे आम मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 23/6/18 [signature] (न्या.अ.[illegible])	

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प जालिमपुरा

उनवान

बंशीलाल पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद हाल निवासी महराना तहसील के0 पाटन जिला बूंदी

–वादी

बनाम

1. हेमराज पुत्र चतुर्भज जाति बैरवा निवासी खेडली काल्या तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–69/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम खेडली काल्या तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 227 रकबा 0.63 हे0 भूमि से प्रतिवादी नं0 1, वादी को बेदखल नहीं करें, वादी के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 23.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner